

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किये जाते हैं -


क. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	261/96	श्री अनिल जैन भंडार सत्यापक निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर	4/115, गांधीनगर	31.1.2017
2	10/2008	श्री मनमोहन गोविंद वरिष्ठ लिपिक गोपनीय शाखा, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज, जयपुर	4/36, गांधीनगर	31.7.2021
3	110/2009	श्रीमती अनिता मिश्रा वरिष्ठ अध्यापक राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बनीपार्क, जयपुर	4/118, गांधीनगर	28.2.2023
4	25/2010	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक संयुक्त निदेशक कृषि, गुण-नियंत्रण, दुर्गापुरा, जयपुर	4/55, गांधीनगर	31.10.2042
5	27/2010	श्रीमती लता आसनानी कनिष्ठ लिपिक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय, जयपुर।	4/68, गांधीनगर	31.8.2028
6	34/2010	श्रीमती शारदा निनामा स्टाफ नर्स-II कार्यालयाध्यक्ष, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/78, गांधीनगर	31.5.2026
7	84/2010	श्रीमती सुनीता महला नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/94, गांधीनगर	31.5.2043
8	85/2010	सुश्री हेमलता सैनी नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/169, गांधीनगर (पुराना नम्बर एफ-982, गांधीनगर)	31.8.2046
9	86/2010	श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/83, गांधीनगर	31.8.2041
10	180/2010	श्री महावीर जांगिड वरिष्ठ लिपिक कार्यालय, कृषि, पशुपालन मंत्री शासन सचिवालय, जयपुर	4/100, गांधीनगर	30.4.2043
11	184/2010	श्री कृष्ण कुमार स्वामी वरिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/110, गांधीनगर	31.7.2038
12	191/2010	श्री दुर्गा सिंह राजावत वरिष्ठ लिपिक मुख्यमंत्री सहायता कोष शासन सचिवालय, जयपुर	4/140, गांधीनगर	31.7.2043

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिखा जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।


2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(मुन्नालाल शर्मा) 21/07/15
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. महानिरीक्षक, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, कृषि, गुण-नियंत्रण, दुर्गापुरा, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
10. प्राचार्य, राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
13. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करावें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त 6 की पालना को भी अमल में लावें।
14. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0-खण्ड-तृतीय/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
17. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
18. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।


(मुन्नालाल शर्मा) 21/07/15
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/14

जयपुर, दिनांक

1 - 11 2014
4107 - 1

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी पंचम श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार/मांग के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किए जाते हैं :-

क्रं. सं.	वरियता संख्या	नाम व पदनाम	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृत्ति दिनांक
1	18/2007	श्री संजीव वल्लभ भिश्म रेफ्रिजिरेटर मैकेनिक जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर	5/151, गांधीनगर	31.03.2026
2	20/2007	श्री राजेश्वर दयाल गर्ग वरिष्ठ लिपिक कार्यालय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जयपुर	5-A-9, बहुमंजिला गांधीनगर	31.10.2025
3	82/2008	श्री संतोष कुमार योगी कनिष्ठ लिपिक निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर	GAD-V-T-1/32 विद्याधर नगर	01.07.2029
4	80/2010	श्री हरिओम गुप्ता कनिष्ठ लिपिक विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आर.आई एक्ट), कोर्ट नं०-5, जयपुर	GAD-V-T-1/47 विद्याधर नगर	31.8.2033
5	5/2011	श्री दिलीप कुमार भीणा कनिष्ठ लिपिक खण्ड-11, जयपुर	GAD-V-T-1/77 विद्याधर नगर	31.7.2048
6	41/2011	सुश्री गमला कुमारी कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ग-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	5/115, गांधीनगर (5/120, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	31.1.2048
7	107/2011	श्री संदीप जैन कनिष्ठ लिपिक कार्मिक (ख-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	GAD-V-T-1/120 विद्याधर नगर	31.7.2031


शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटनी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटनी

अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।


8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
10. क्रम संख्या 2 पर अंकित आवंटी से 'कॉमन सुविधा शुल्क' के पेटे राशि रुपये 75/- (अक्षरे पिचेत्तर रुपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से


(मुन्नालाल शर्मा) 01/07/14
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, भिनी सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
6. न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आर.आई. एक्ट), कोर्ट नं0-5, जयपुर।
7. कार्यालय संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जयपुर।
8. प्रभारी अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।
9. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-II, जयपुर
10. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
13. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग-खण्ड-तृतीय/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग /जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 विद्याधर नगर/गांधीनगर, जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर।
17. क्रम संख्या 6 अंकित आवंटी को भेजकर लेख है कि कृपया नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
18. सम्बन्धित कर्मचारीगण
19. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
20. रक्षित पत्रावली।


(मुन्नालाल शर्मा) 01/07/14
सहायक शासन सचिव